

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक/स्वा./स्था./2021/ 12096

दुर्ग, दिनांक 17/08/2021

// संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन //

कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति, डी.एम.एफ. दुर्ग छ.ग. के प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश क्रमांक/80/डीएमएफ/ 2020 दुर्ग दिनांक 15.06.2020 अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक के पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है। इस हेतु इच्छुक आवेदक अपने सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन वाक-इन-इन्टरव्यू हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं, विवरण निम्नानुसार है:-

पंजीयन हेतु निर्धारित तिथि एवं समय : तिथि 25 अगस्त सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक
पात्र सूची का प्रकाशन : दोपहर 02 बजे तक
दावा आपत्ति हेतु निर्धारित समय : दोपहर 02:00 से 02:30 बजे तक
दावा आपत्ति निराकरण : दोपहर 02:30 से
साक्षात्कार : शाम 04:00 बजे अथवा आवेदन संख्या अधिक होने पर आगामी तिथि में की जावेगी।

नोट :- (1) पात्र सूची को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावेगा।

(2) दावा आपत्ति पश्चात पात्र सूची को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावेगा।

स.कं	पदनाम	एकमुश्त प्रति माह वेतन	न्यूनतम अर्हताएं
1	एम डी मेडिसीन (Gen medicine)	As per Negotiable Salary Package, Salary Package for Specialist(MS/MD/DNB)- 93750.00 - max. Rs.1.5 lakhs.	MS/MD/DNB/PG Diploma in General Medicine
2	सर्जरी विशेषज्ञ	Salary Package for PGMO(PG Diploma)- 62500.00 - max Rs. 1.00 Lakhs (Negotiable Based on Work Experience & Merit	MS/DNB(Gen. Surgery)

सेवानिवृत्त व्यक्ति को अंतिम वेतन (Basic+DA) राशि से पेंशन की राशि को घटा कर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।


नियम एवं शर्तें

- आयु – अभ्यर्थी की आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 होना चाहिए। आयु की गणना विज्ञापन वर्ष के दिनांक 1 जनवरी 2021 अनुसार की जावेगी।
- सभी पद पूर्णतः संविदा आधारित हैं।
- निर्धारित वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- संविदा भर्ती के संबंध में आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा—
 1. 10वीं एवं 12 वीं की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।
 2. संबंधित कोर्स से उत्तीर्ण समस्त वर्षों की अंकसूची।
 3. छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
 4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
 5. शासकीय/निजी संस्था में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- अनुभव – 1. शासकीय संस्था/ उपक्रम में कार्यरत अभ्यर्थी को पूर्ण प्रतिवर्ष पर 05 अंक अधिकतम 15 अंक एवं निजी नर्सिंग होम/अस्पताल (100 बिस्तर या अधिक) में कार्यरत अभ्यर्थी को प्रतिवर्ष पूर्ण होने पर 03 अंक अधिकतम 15 अंक दिया जावेगा।
- मेरिट लिस्ट का निर्धारण –
 1. विशेषज्ञ पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता में MD/MS डिग्री को प्राथमिकता दी जावेगी नहीं मिलने पर DNB को प्राथमिकता दी जावेगी, एवं दोनो नहीं मिलने पर डिप्लोमा योग्यता वाले को लिया जावेगा।
 2. वरियता सूची का निर्धारण करते समय PG डिग्री/डिप्लोमा के प्राप्तांको का 65 प्रतिशत अंक लिया जान प्रावधानित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास विश्वविद्यालय द्वारा PG डिग्री/डिप्लोमा की अंक सूची प्रदान नहीं किया गया हो ऐसी स्थिति में सभी प्रतिभागियों को समान कुल अंक का 65 प्रतिशत अंक दिया जावेगा।
 3. 20 अंक का साक्षात्कार लिया जावेगा।
 4. निर्धारित समय सीमा में विशेषज्ञ पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/स्कूटनी कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता क्रम सूची निम्नानुसार बनाई जावेगी।

क्र.	पद	भौक्षणिक योग्यता	साक्षात्कार अंक	अनुभव का अंक	कुल अंक
1	specialist	65% (MS/MD/DNB/PG Diploma)	20	15	100

- चयन उपरांत सभी चयनित अभ्यर्थियों को 50.00 रुपये का अनुबंध पत्र (बॉण्ड) भरना होगा।
- प्राप्त आवेदनों की एवं वरीयता सूची की वैधता विज्ञापन जारी दिनांक से 01 वर्ष तक के लिए होगी।
- दावा आपत्ति में केवल टंकन त्रुटि का ही सुधार किया जावेगा, नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- चयनित उम्मीदवारों की सूची, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाइट durg.gov.in पर देखा जा सकेगा। किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जावेगा।
- संविदा अवधि 31 मार्च 2022 तक के लिए होगी। एवं कार्य मूल्यांकन प चात कार्य संतोशजनक होने की स्थिति में ही सेवा निरंतर की जा सकती है।
- योग्य उम्मीदवार नहीं होने की दशा में चयन समिति द्वारा भर्ती निरस्त कर पुनः पद विज्ञापित कराया जा सकता है।
- उपरोक्त पदों पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्याओं पर अंतिम निर्णय का अधिकार कलेक्टर जिला दुर्ग (छ.ग.) का होगा।


 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
 जिला-दुर्ग(छ.ग.)